

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—४० / २०१३—  
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

मई, २०१५.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०स०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री नन्दीप नन्दन सिंह,  
मेसर्स परफेक्ट क्रॉप साईंस प्रा० लि०,  
H/O—श्रीमती अनुराधा कुमारी,  
W/O—श्री शैलेन्द्र कुमार,  
खाता नं०—६५१, थाना—बाईपास,  
शिवजी कॉलोनी, बड़ी पहाड़ी (पावर सब स्टेशन के सामने),  
अगमकुँआ रोड, पटना—७

**विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या ९५ दिनांक २१.०२.२०१४ वैद्यता तिथि ३१.१२.२०१४ का नवीकरण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम १९६८ नियमावली १९७१ एवं आदेश १९८६ में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञाप्ति संख्या ९५ दिनांक २१.०२.२०१४ वैद्यता तिथि ३१.१२.२०१४ का नवीकरण ३१.१२.२०१६ तक के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
१	Monocrotophos 36% SL	१८	Tricyclazole 75% WP
२	Imidacloprid 17.8%SL	१९	2.4-D Ethyl Ester 38% E.C. (Having 2.4- Acid 34%W/W)
३	Acetamiprid 20% SP	२०	Metribuzin 70% W.P.
४	Glyphosate 41% SL	२१	Acephate 50%+Imidacloprid 1.8 % SP
५	Mancozeb 75%WP	२२	Metsulfuron methyl 20%WP
६	Chlorpyriphos 20%EC	२३	Diafenthion 50% WP
७	Emamectin Benzoate 5% SG	२४	Fenoxaprop-p-ethyl 9.3%EC
८	Iambdacyhalothrin 5% EC	२५	Gibberillic Acid 0.001%L
९	Cartap Hydrochloride 4% GR	२६	Fipronil 5% SC
१०	Captan 70%+Hexaconazole 5% WP	२७	Thiophanate Methyl 70%WP
११	Triazophos 40% EC	२८	Sulphur 80% WDG
१२	Pendimethalin 30%EC	२९	Tricyclazole 18%+Mancozeb 62%WP
१३	Phorate 10% CG	३०	Gibberellic acid 0.186 % S.P.
१४	Hexaconazole 5% SC	३१	Imidacloprid 70% WG
१५	Cartap Hydrochloride 50% SP	३२	Buprofezin 25% Sc
१६	Validamycin 3% L	३३	Indoxacarb 14.5% SC
१७	copper Oxychloride 50% WP		

२—उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम १९६८, नियमावली १९७१, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स परफेक्ट क्राप साईंस प्रा० लि०, H/O—श्रीमती अनुराधा कुमारी, W/O—श्री शैलेन्द्र कुमार, खाता नं०—६५१, थाना—बाईपास, शिवजी कॉलोनी, बड़ी पहाड़ी (पावर सब स्टेशन के सामने), अगमकुँआ रोड, पटना—७

३- Profenophos 50% EC बैच नं०—P/C/102 / 002 विनिर्माण तिथि अगस्त २०१३ अवसान तिथि जनवरी १५ अमानक पाये जाने के फलस्वरूप कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक—३९६७ दिनांक ०८.०९.२०१४ द्वारा अभियेजना की स्वीकृति दी गई है, जिसके कारण इसका नवीकरण नहीं किया जा रहा है।

4—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

5—अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

6—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

7—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

9—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10—कीटनाशी अनुज्ञाप्ति सं० 95 दिनांक 21.02.2014 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२६५-

/कृ०, पटना, दिनांक १६ मई, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आर्ड० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।